

(जनवरी में प्रस्तुत करें)

विनि. 23



## स्थायी अपंगता हितलाभ हेतु जीवन प्रमाण-पत्र

कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(विनियम 107)



--	--

स्थायी रूप से अपंग व्यक्ति की बीमा संख्या

\*प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ पत्नी

/पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_ तारीख को जीवित है।

हस्ताक्षरकर्ता दावेदार का  
साफ अक्षरों में नाम

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

अनुप्रमाणन प्राधिकारी का पदनाम  
व रबड़ की मोहर/ मुद्रा

महत्वपूर्ण: कोई व्यक्ति, चाहे अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, प्रसूविधा आभिप्राप्त करने के प्रयोजन से मिथ्या कथन या मिथ्या व्वपदेशन करेगा, अपने को अभियोजन के लिए जिम्मेदार ठहराएगा और उसे 2000/- रू. तक जुर्माना या 6 महीने तक का कारावास या दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं।

• यह प्रमाण-पत्र (1) सरकार के राजस्व, न्यायिक या माजिस्ट्रेट विभाग किसी अधिकारी या (2) नगर पालिका आयुक्त; या (3) कर्मकार प्रत्रिकार आयुक्त, या (4) ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा पंचायत की शासकीय मुद्रा लगा करके; या (5) विधायक/सांसद; या (6) केन्द्रीय/राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी; या (7) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय बोर्ड या स्थानीय समिति के सदस्य; या (8) शाखा प्रबंधक द्वारा अनुमोदित अन्य कोई प्राधिकारी द्वारा दिया जायेगा।